

खाता खोलने का फॉर्म - सावधि जमाएँ

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक शाखा खाता सं

स्वामित्व कोड मा का प्रकार (कृपया स्पष्ट करें)..... दिनांक.....

पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) प्रथम जमाकर्ता का पता

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

जमा शेष

मुझे देय है. संयुक्त रूप से हमें देय किसी की/हम में से किसी एक की/उत्तर जीवी को देय है

प्रथम/उत्तर जीवी को देय है

नाबालिग की जन्म तिथि

मैं/हम आपसे अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि निम्नलिखित निबंधनों पर बैंक के नियमों के अनुसार मेरे/हमारे नाम से सावधी जमा खोलें और मुझे/हमें जमा रसीद/पास बुक जारी करें। मैं / हम ऐसे खाते पर समय समय पर लागू बैंक के नियमों व विनियमों से बाध्यकर रहना स्वीकार करता हूँ / करती हूँ / करते हैं।

मुझे / हमें मालूम है कि जमा को, परिपाक-अवधि पूरी होने से पहले ही बंद करने के लिए मेरे / हमारे द्वारा लिखित रूप से किये गये अनुरोध को बैंक द्वारा स्वीकार कर लिये जाने की हालत में परिपाक-अवधि पूरी होने से पहले बंद की जाने वाली ऐसी जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज-दर संविदागत-दर से कम होगी और उक्त दर, जमा राशि के बैंक में जमा रहने की अवधि व बैंक की नीति / भारतीय रिजर्व बैंक / आइ बी ए के दिशानिर्देश पर आधारित होगी जो जमा को परिपाक-अवधि से पहले बंद किये जाते समय व्यवहार में होंगे।

लागू जमा पर ' \ निशान लगाएँ और भरें

मियादी जमा (एफडी) विशिष्ट मियादी जमा (एसएफडी)

अल्पावधि जमा (एसडी) वार्षिक आय योजना (वीएवाइ)

जमा की रकम रु..... जमा की अवधि वर्ष ब्याज दर..... आप / आपकी शाखा के पास रखे हुए सीडी / एसबी खाता सं..... में ब्याज करें।

पुनर्निवेश जमा योजना (आरडीपी) / नकदी प्रमर्ची पत्र (सीसी)

जमा की रकम रु..... जमा की अवधि वर्ष ब्याज दर..... परिपाक पर प्राप्य रकम रु..... (आरडीपी मामले में)

ईजी जमा योजना (ईडीएस)

प्रतिमाह रु..... की स्थाई रकम रु..... महीनों के लिए (मासिक जमा रु.100/- या उससे ऊपर रु.10/- के गुणजों में होगी और स्थाई रकम के 10 गुना तक की राशि जमा की जा सकती है। परिपाक पर देय रकम योजना के नियमों के मुताबिक होगी।)

आवर्ती जमा (आरडी) वैवाहिक जमा (डबल्यूडी) / शिक्षा जमा (ईडी) स्थाई आय योजना (पीआइपी) / संचयी लाभ जमा योजना (सीबीडी)
जमा

| वर्ष | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|-------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|
| मासिक किस्त | | | | | | | | | | |

आरडी:जमा की अवधि: किस्त की रकम रु.....

चुकतान

आरडी / डबल्यूडी के लिए:रु..... (जब अंतिम किस्त देय हो जाती है और मेरे / हमारे द्वारा अदा की जाती है उससे 30 दिन बाद या परिपाक की तारीख को, जो भी बाद में हो)

ईडी के लिए:रु.....(जब अंतिम किस्त देय हो जाती है और मेरे / हमारे द्वारा अदा की जाती है उससे 30 दिन बाद या परिपाक की तारीख काक, जो भी बाद में हो) (एक मुश्त राशि के रूप में) या रु..... की किस्तों में।

पीआइपी के लिए:60/36/24 महीनों के लिए रु..... प्रतिवर्ष के बोनस के साथ रु..... प्रति महीने / तिमाही चुकाया जाएगा तथा अंतिम किस्त के साथ रु..... की एक मुश्त राशि चुकाया जाएगी।

बहुरूपी जमा खाता

जमा की रकम रु..... जमा की अवधि वर्ष ब्याज दर..... परिपाक रकम रु.....

बहुरूपी पुनर्निवेश योजना

खाता खोलते समय जमा की गयी रकम रु..... (अवधि) वर्ष। खाते में आगे की गयी और जमाओं की परिपाक तिथि उक्त परिपाक तिथि के साथ तारतम्य रखेगी।

घोषणाएँ

जमा की प्रतिभूति के प्रति ऋण का प्रदान किया जाना या जमा का परिपाक - पूर्व समापन

बैंक निम्नलिखित से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर जमा की प्रतिभूति के प्रति ऋण अग्रिम / उधार सुविधा मंजूर कर सकता है। (या) धनागमों का समयपूर्व भुगतान आवेदक को कर सकता है।

सभी जमाकर्ताओं से संयुक्त रूप से (अगर शेष अदा करने के लिए अनुदेश "संयुक्त रूप से" है तो)

केवल "प्रथम" से, उसके जीवनकाल के दौरान और उनके बाद उत्तरजीवी(यों) से ("प्रथम या उत्तरजीवी" के अनुदेशों के मामले में)

(या)

हम में कोई एक या हममें से उत्तरजीवियों से ("कोई एक / हम में से कोई एक या उत्तरजीवी के अनुदेशों" के मामले में)

(या)

बैंक के अपने एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत और यथा निर्धारित इस तरह के निबंधन व शर्तों के तहत सभी जनकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से जब वे जीवित हों या उत्तरजीवी(यों) से ("दानों या उत्तरजीवी / सभी या उत्तरजीवी" को शेष अदा करने से संबंधित अनुदेशों के मामले में)

दिनांक

जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

स्वतः नवीकरण
(मियादी जमा, अल्पावधि जमा आदि के लिए)

मैं/हम बैंक को प्राधिकार देता हूँ/देते हैं कि जब तक मुझे हम से इसके विपरीत लिखित अनुदेश बैंक को परिपाके से पहले प्राप्त न हों, तब तक वे परिपाक तिथि को और तदुपरांत आनेवाली परिपाक तिथियों को, जमा को की अवधि के लिए मूल जमा रसीद के मुताबिक नवीकृत करें। नवीकरण, उस समय लागू योजना के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार होगा।

मुझे/हमें यह भी ज्ञात है कि परिपाक तिथि को लागू ब्याज दर ही नवीकरण पर लागू होगी।

मुझे/हमें यह भी ज्ञान है कि जब मैं/हम परिपाक तिथि को या उसके बाद जमा रसीद बैंक को प्रस्तुत करूँगा/करेंगे, तब उस नवीकरण से संबंधित प्रविष्ट की जाएगी।

दिनांक: _____ जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

स्टाफ सदस्य द्वारा घोषणा

मैं/हम रोल नं..... स्टाफ सदस्य जिसका / जिनके नाम इस खाते में दर्शाया गया है / दर्शाये गये हैं, एतद्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि इस खाते में जमा की गयी अथवा समय-समय पर जमा की जानेवाली समस्त धन-राशि मेरी/हमारी है और यह धर-राशि खाते से संबंधित अन्य पार्टियों की नहीं है, जो स्टाफ सदस्य नहीं है बल्कि मेरे / हमारे परिवार-जन है।

_____ जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

परिचय

मैं..... एतद्वारा श्री / श्रीमती / मेसर्स का परिचय देता हूँ जिनको मैं पिछले वर्षों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जमाकर्ता द्वारा इस आवेदन में दिये उनके पते के सहीपन की मैं पुष्टि करता हूँ।

दिनांक: _____ परिचयकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

कार्यालय के प्रयोग हेतु प्राप्त/अद्यतन किया गया केर्वासी-सीआरओपी हस्ताक्षर(रों) को सत्यापित किया गया

दिनांक: _____ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नामांकन

मैं/हम निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करता हूँ/करती हूँ जिन्हें खाते की शेष रकम मेरी/हमारी/नाबालिग की मृत्यु हो जाने पर इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा अदा की जा सकती है।

| नामिती का नाम व पता | आयु | रिश्ता | अगर नामिती नाबालिग है तो जन्म तिथि |
|---------------------|-----|--------|------------------------------------|
| | | | |

(नामिती के नाबालिग होने के मामले में)

चूँकि नामिती आज की तारीख को नाबालिग है, मैं/हम श्री/श्रीमती/कु..... (नाम, पता व आयु) को मेरी / हमारी / नाबालिग की मृत्यु, नामिती की अवयस्कतरता के दौरान हो जाने पर, नामिती की ओर से जमा रकम प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ/करती हूँ/करते हैं।

स्थान:.....

दिनांक:.....

जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर / बायें हाथ के अंगूठे के निशान

साक्षियों के नाम व हस्ताक्षर

(अगर बायें हाथ के अंगूठे का निशान लिया गया हो तो)

1.....

2.....

कार्यालय के प्रयोग हेतु

नामांकन पंजीकृत

दिनांक:

प्राधिकृत अधिकारी

इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा

पावती

खाता सं..... जमाकर्ता का नाम:.....

श्री के पक्ष में दिनांक

को किया गया नामांकन बैंक की बहियों में पंजीकृत किया गया है।

कृपया नोट करें कि इस तथ्य के बावजूद कि यह जमा आपके जीवनकाल के दौरान बिना किसी अडचन के प्रत्यावर्तनीय है, अनिवासी नामिती के प्राप्ति के प्रत्यावर्तन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन और समय-समय पर लागू संगत विनियम नियंत्रण विनियमों* के आधार पर होगा।

* (एनआरआई/एफसीएनआर खातों के संबंध में ही लागू है)

कृते इण्डियन ओवरसीज बैंक

प्रबंधक

तारीख:.....

एफ 567 का अनुलग्नक - खाता खोलनक का फार्म - सावधि जमाराशि

एनओडीसीआइपी फार्म
(संशोधित)

सेवा में
मुख्य / वरिष्ठ प्रबंधक
इण्डियन ओवरसीज बैंक
..... शाखा

दिनांक

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त तारीख का मेरा सावधि जमा का आवेदन पत्र रु.....

मैं घोषित करता हूँ कि, सावधि जमा खातों को उनके परिपाके से पहले बंद करने, अतिदेय जमा खातों के नवीनीकरण पर ब्याज का भुगतान करने, मियादी जमाओं के ब्याज का भुगतान, विशेष सावधि जमा खाता के तहत मासिक आधार पर ब्याज का परिकलन और ब्याज के भुगतान की तरीका, जो क्रमशः भाग I और भाग V में दिया गया है, इनसे संबंधित प्रावधानों की मुझे जानकारी है।

भाग - I सावधि जमाओं को परिपाक से पहले बन्द करना

| परिपाक से पहले बंद करना | देय ब्याज |
|---|--|
| 1. देशीय एवं एनआरओ सावधि जमाराशियाँ | |
| क) रु.15 लाख से कम रकम की जमाराशियाँ यदि किसी जमाराशि को खाले जाने अथवा नवीकृत किए जाने की तारीख के बाद, जमाराशि को परिपाक से पूर्व बंद किए जाने की तारीख तक, 15 दिन की अवधि पूरी नहीं हुई हो। | क) किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। |
| ख. रु.15 लाख और उससे अधिक रकम की जमाराशियाँ यदि किसी जमाराशि को खोले जाने अथवा नवीकृत किए जाने की तारीख के बाद इस जमाराशि को परिपाक से पूर्व बंद किए जाने की तारीख तक, 07 दिन की अवधि पूरी नहीं हुई हो। | ख) किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। |
| ग) यदि रु.15 लाख से कम रकम वाली जमाराशि 15 दिन की अवधि पूरी कर लेती है और रु.15 लाख और उससे अधिक रकम वाली जमाराशि 07 दिन की अवधि पूरी कर लेती है। | ग) i) परिपाक से पूर्व बंद किए जाने पर लगाए जाने वाले प्रभार नहीं लगाए जाएँगे। जितने समय तक जमाराशि बनी रही है, उस अवधि के लिए, जमाराशि बनाने की तारीख को लागू ब्याज दर देय होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा। ii) जितने समय तक जमाराशि बनी रही है, उस अवधि के लिए, जमाराशि बनाने की तारीख को लागू ब्याज दर से 1% कम। (महत्वपूर्ण: वरिष्ठ नागरिकों को और रु.15 लाख और उससे अधिक रकम की बड़ी जमाओं पर देय अतिरिक्त ब्याज, यदि, कोई हो तो, जमाराशि को परिपाक से पूर्व बंद किउ |

जाने की स्थिति में यह देया नहीं होगा)

घ) यदि कोई अतिदेय जमाराशि, अतिदेय अवधि के लिए ब्याज अदा कर दिए जाने के बाद, इसके नवीकरण की तारीख के उपरांत, रु.15 लाख से कम रकम की जमाराशि की स्थिति में 15 दिन की अवधि पूरी होने से पहले और रु.15 लाख या उससे अधिक रकम की जमाराशि की स्थिति में 7 दिन की अवधि पूरी होने से पहले, परिपाक से पूर्व बंद की जाती है।

2. एन.आर.आई सावधि जमाराशियाँ

क) यदि कोई जमाराशि, इसके खाले जाने अथवा नवीकृत किए जाने के बाद से एक वर्ष की अवधि पूरा नहीं करती है और परिपाक से पहले बंद कर दी जाती है।

ख) यदि कोई जमाराशि, इसके खाले जाने अथवा नवीकृत किए जाने के बाद से एक वर्ष की अवधि पूरी कर लेती है और परिपाक से पहले बंद कर दी जाती है।

ग. यदि कोई अतिदेय जमाराशि, अतिदेय अवधि के लिए ब्याज अदा कर दिए जाने के बाद, इसका नवीकरण किए जाने की तारीख के उपरांत, एक वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले परिपाक-पूर्व बंद की जाती है।

घ) नवीकृत जमाराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा और साथ ही, अतिदेय अवधि के लिए, पहले अदा किया गया ब्याज भी वसूल कर लिया जाना होगा।

क) इस जमाराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

ख) जमाराशि जितनी अवधि तक बैंक में रही, उस अवधि के लिए, जमाराशि की तारीख को लागू ब्याज दर से 1% कम ब्याज देय होगा।

(रु.15 लाख और उससे अधिक रकम की जमाराशियों पर देय अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, नहीं किया जाएगा।)

ग. जमाराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा और साथ ही, अतिदेय अवधि के लिए किया गया ब्याज भी वसूल कर लिया जाना होगा।

भाग-11 अतिदेय जमाराशि के नवीकरण पर ब्याज का भुगतान

देशीय एन.आर.ई सावधि जमाराशियाँ

क) जनता, स्टाफ और वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त जमाराशियों के परिपाक की तारीख (प्रस्तुत किए जाने की तारीख और परिपाक की तारीख सहित दोनों) से चौदह दिन तक।

ख) जनता, स्टाफ और वरिष्ठ नागरिकों की जमाराशियों के लिए जब अतिदेय-अवधि, परिपक्वता की तारीख से पंद्रह दिन से अधिक हो।

जमाराशि को परिपक्वता की तारीख, से नवीकृत किया जा सकता है और ब्याज दर, परिपक्वता-तारीख को लागू उचित दर होगी। यह जमाराशि कम से कम 15 दिन की न्यूनतम अवधि के लिए नवीकृत की जाएगी। (रुपए पंद्रह लाख और उससे अधिक रकम की जमाओं के मामले में सात दिन)

अतिदेय अवधि के लिए ब्याज, जमाराशि के परिपाक की तारीख अथवा नवीकरण किए जाने की तारीख को लागू सामान्य ब्याज दर, इसमें से जो कम हो, अलग से अदा किया जाएगा। एन.आर.ई. जमाराशियों के मामले में, यदि अतिदेय अवधि एक वर्ष से कम हो तो, जमाराशि के परिपाक वाली तारीख को अथवा नवीकरण किए जाने की तारीख को, एक वर्ष की अवधि के लिए लागू ब्याज दर, इनमें से जो कम हों, लागू होगी। जमाराशि की रकम (अतिदेय ब्याज रकम के साथ या उसके बिना) अगले कम

से कम पंद्रह दिन (पंद्रह लाख या उससे अधिक रकम की जमाओं के मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए) के लिए, इसकी प्रस्तुति की तारीख के बाद से नई जमाराशि के रूप में रखी जानी होगी।

नवीकृत जमाराशियों पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा और इसके अलावा, अतिदेय अवधि के लिए पहले से अदा किया गया ब्याज भी वसूल कर लिया जाएगा।

ग) यदि कोई अतिदेय जमाराशि नवीकृत करवाई जाती है और पंद्रह दिन पूरे होने से पहले (पंद्रह लाख और उससे अधिक रकम की जमाराशियों के लिए सात दिन) और एन.आर.ई. सावधि जमाओं के मामले में नवीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर, परिपाक से पूर्व बंद की जाती है।

भाग-III अतिदेय जमाराशि के नवीकरण पर ब्याज का भुगतान

ऐसी जमाराशियाँ जो तीन महीने से कम अवधि में देय है अथवा जहाँ टर्मिनल-तिमाही अपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में ब्याज की अदायगी, वर्ष में तीन सौ पैंसठ दिनों के आधार पर, वास्तविक दिनों की संख्या के लिए की जाएगी।

भाग - IV विशेष मियादी जमा खातों के लिए मासिक आधार पर ब्याज की अदायगी

जमाकर्ता की इच्छानुसार, ब्याज मासिक आधार पर दिया जाएगा और यह देय मासिक ब्याज सामान्य दर से किए गए परिकलन से कम होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार होगा और यह ब्याज केवल तिमाही आधार पर अदा किया जाएगा और मासिक भुगतान केवल बट्टाकृत मूल्य पर होगा।

भाग V मृत जमाकर्ताओं के खाते

जहाँ जमाराशि पर नामांकन किया गया है, नामांकन पर लागू नियमों के अनुसार नामांकित के पक्ष में, दावे को निपटान कर दिया जाना चाहिए।

जहाँ नामांकन उपलब्ध नहीं है, जमाराशियों के दावे, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार कानूनी वारिसों को अदा किए जाने चाहिए।

1. मृत जमाकर्ता की मियादी जमा की रकम यदि परिपाक की तारीख को अदा की जा रही हो तो ब्याज की रकम, जमाराशि के लिए अनुबंधित दर के अनुसार ही अदा की जाएगी।

2. यदि जमाराशि की रकम का दावा इसकी परिपाक की तारीख से पहले किया जाता है तो जितनी अवधि के लिए बैंक में जमाराशि रही है, उस अवधि के लिए उचित दर पर ब्याज अदा किया जाएगा और परिपाक पूर्व खाता बंद करने के लिए किसी प्रकार का दंड प्रभारित नहीं किया जाएगा।

3. यदि किसी जमाकर्ता की मृत्यु जमाराशि के परिपाक से पहले हो जाती है और जमाराशि की रकम का दावा, परिपाक की तारीख के बाद किया जाता है तो परिपाक की तारीख तक की अवधि के लिए, अनुबंधित दर के अनुसार ब्याज अदा किया जाएगा। परिपाक की तिथि से भुगतान किये जाने की तारीख तक परिपाक की तारीख के बाद, जितने समय तक जमाराशि बैंक में रही है, उस अवधि के लिए, जमाराशि के परिपाक की तारीख को लागू दर से साधारण ब्याज अदा किया जाएगा। तथापि, यदि जमाकर्ता की मृत्यु, जमाराशि की परिपक्वता की तारीख के बाद होती है तो परिपाक की तारीख से

भुगतान करने की तारीख तक की अवधि के लिए बचत बैंक जमा दर (परिपाक की तारीख को लागू) पर ब्याज अदा किया जाएगा।

मैं / हम यह भी पुष्टि करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा माँगे गए स्पष्टीकरण मुझे / हमें शाखा द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं।

भवदीय,

.....
जमाकर्ता/ओं के हस्ताक्षर

सावधि जमा के नवीनीकरण के लिए अनुरोध पत्र

प्रिय महोदय,

हमारी जमा राशि संख्या..... दिनांकित रु..... देय तारीख

.....

आपसे अनुरोध किया जाता है कि आज से दिनों / महीनों / वर्षों तक की अवधि के लिए, नवीकरण की अवधि हेतु, मौजूदा ब्याज दर पर उपर्युक्त जमा राशि का वीकरण करें। अतिदेय अवधि के लिए लागू नियमों के अनुसार, साधारण दर पर अलग से ब्याज प्राप्त करने के प्रति मैं सहमत हूँ।

मैं / हम जानता हूँ / जानते हैं कि जमा राशि का नवीकरण किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर (रु.15 लाख और उससे अधिक रकम की जमा राशियों के लिए 7 दिन) (एन.आर.ई. जमाओं के मामले में एक वर्ष) जमा राशि को मेरे / हमारे द्वारा परिपाक से पूर्व बंद किए जाने की स्थिति में बैंक के विवेकाधिकार के तहत दिए जाने वाले अतिदेय ब्याज को प्राप्त करने के लिए मैं / हम पात्र नहीं होंगे।

भवदीय,

.....
जमाकर्ता/ओं के हस्ताक्षर